भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 752
उत्तर देने की तारीख- 12/12/2022

केंद्रीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों / शिक्षकों की कमी

†752. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:

श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी:

श्री रघु राम कृष्ण राजू:

श्री वी. के. श्रीकंदन:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत तीन वर्षों में 40 प्रतिशत से अधिक केंद्रिय विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों/शिक्षकों की कमी है क्योंकि रक्षा और अर्धसैनिक कर्मियों सहित विशेष रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए निर्मित इन विद्यालयों हेतु कोविड-19 के कारण भर्तियां बंद कर दी गई हैं;

(ख) क्या कई प्रधानाचार्य कटु और निराश थे तथा उन्होंने "कर्मचारी अशांति" की शिकायत की थी क्योंकि उनमें से कुछ को दो पालियों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं,

और

(ग) क्या करियर में प्रगति की कोई योजना अथवा स्थानांतरण नीति नहीं थी, जिसके फलस्वरूप कई लोग दूर-दराज के स्टेशनों पर पांच से सात वर्ष बिताते हैं और वे "नीतिगत अनिश्चय" की शिकायत करते हैं क्योंकि 2019 से 2022 तक इन स्कूलों की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में अकादमिक प्रदर्शन शीर्ष स्थान से गिरकर तीसरे स्थान पर आ गया है और कोविड-19 के कारण हुए अधिगम के नुकसान की भरपाई करने की आवश्यकता है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(**श्रीमती अन्नपूर्णा देवी**)

(क) जी नही, प्रधानाध्यापकों/शिक्षकों की ऐसी कोई कमी नहीं है क्योंकि नियमित भर्ती के लंबित रहने के कारण शिक्षकों को संविदा के आधार पर नियमित रूप से लगाया जाता है, जिसके लिए हाल ही में विज्ञापन जारी किया गया है। साथ ही, केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) ने स्कूल में पर्याप्त संख्या में नियमित शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक युक्तिकरण प्रक्रिया चलायी है।

(ख) ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है।

(ग) केविसं में सभी श्रेणीयों के कर्मचारियों के लिए करीयर की प्रगति और स्थानांतरण दिशानिर्देशों के लिए अधिसूचित योजनाएं हैं। कोई भी नीतिगत अंतराल नहीं है और केविसं, महामारी से उत्पन्न होने वाले अधिगम नुकसान को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से विशेष प्रयास कर रहा है। छात्रों की आवश्यकताओं के आधार पर इस तरह के अधिगम की बहाली के उपायों में, छात्रों की आवश्यकताओं के आधार पर, प्रत्येक छात्र की समस्या/कठिन क्षेत्रों को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय, अतिरिक्त कक्षाएं, व्यक्तिगत ध्यान देने के लिए विशेषज्ञ शिक्षकों को नियुक्त करना, माता-पिता को शामिल करना,

छात्रों की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी और विशिष्ट निर्देशात्मक सामग्री और वर्कशीट/कार्यपुस्तिकाओं के उपयोग शामिल हैं।

******